## स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्राल, भारत सरकार) सुगंध भवन, पालारिवट्टम कोच्ची – 682 025, केरल

## रामपुरा भाटियाँ, जोधपुर, राजस्थान के स्पाइसेस पार्क में भूमि पट्टे पर लेने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

स्पाइसेस बोर्ड ने बीजीय मसालों, खासकर जीरा के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए रामपुरा भाटियाँ, जोधपुर, राजस्थान में 60 एकड़ भूमि में एक मसाला पार्क की स्थापना की। पार्क में उपलब्ध सामान्य अवसंरचना सुविधाओं में सड़क, नालियाँ, निर्बाध बिजली और पानी की पूर्ती आदि शामिल है। बोर्ड ने मसाला प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए संभावित उद्यमियों को पट्टे पर देने के लिए भूमि उद्दिष्ट की है।

अब, बोर्ड रामपुरा भाटियाँ, जोधपुर, राजस्थान में मसाला प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्लॉटों के आबंटन के लिए मसाला निर्यातकों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंति्रत करता है।

- 1. एक एकड़ क्षेत्रफल में प्लॉट नं.10
- 2. एक एकड़ क्षेत्रफल में प्लॉट नंबर 11

इच्छुक निर्यातक जिनके पास मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र है, वे ईओआई प्रस्तुत करने के पात्र हैं। पाँच लाख रुपए प्रति एकड़ +18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त, के एकमुश्त विकास शुल्क (अप्रतिदेय) के भुगतान पर भूमि 30 वर्ष की प्रारंभिक अविध के लिए पट्टे पर दी जाएगी। विकास शुल्क के अलावा, प्रति एकड़ 1000/- रुपए + 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त का पट्टा किराया देय होगा। पट्टा किराया अपेक्षानुसार संशोधन के अधीन है। अन्य निबंधन व शर्तें पट्टा करार के अनुसार होंगी।

इच्छुक निर्यातक जो पार्क का दौरा करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित पते पर प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:

उप निदेशक स्पाइसेस बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय सी 65, सेकेंड एक्सटेंशन कमला नेहरू नगर, जोधपुर 342001, राजस्थान

ई-मेल : <u>spicesboardju@gmail.com</u> Mob : 9483843351/ 9656781180

## पट्टे के सामान्य निबंधन और शर्तें

- 1. प्रारंभ में, पट्टे की अवधि 30 वर्ष (तीस वर्ष) है जो पट्टा करार के पंजीकरण के दिन से शुरू होती है। यदि आवश्यकता हो, तो संबंधित राज्य सरकार से अनुमोदन के अधीन पट्टाकर्ता (स्पाइसेस बोर्ड) और पट्टेदार (निर्यातक) के बीच के आपसी करार पर पट्टे की अवधि आगे बढ़ाया जा सकता है।
- 2. पट्टेदार पट्टाकर्ता को पंजीकरण के वर्ष से उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल में या उससे पहले 18 प्रतिशत जीएसटी या पुनरीक्षित दर पर प्रति वर्ष 1000/- रू प्रति एकड़ पट्टा दर का भुगतान करेगा (बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण के अधीन)
- पट्टेदार पट्टाकर्ता को आबंटित प्लॉटों के लिए प्रित एकड़ 5.00 लाख रू. (18 प्रितिशत जीएसटी अतिरिक्त) की एक एकमुश्त अप्रितिदेय विकास शुल्क का भुगतान करेगा।
- 4. पट्टा करार का पंजीकरण करार हस्ताक्षर करने से एक महीने के भीतर किया जाएगा, जो न कर पाने पर प्लॉट आबंटन रद्द किया जाएगा और प्रशासनिक व्ययों के लिए भुगतान किए विकास शुल्क के पाँच प्रतिशत (जीएसटी को छोड़कर) की कटौती की जाएगी और शेष राशि पट्टेदार को वापस किया जाएगा।
- 5. प्रसंस्करण इकाई का निर्माण पंजीकरण करार हस्ताक्षर करने से छ: महीने के भीतर किया जाएगा, जो न कर पाने पर प्लॉट आबंटन रद्द किया जाएगा और प्रशासनिक व्ययों

- के लिए भुगतान किए विकास शुल्क के दस प्रतिशत (जीएसटी को छोड़कर) की कटौती की जाएगी और शेष राशि पट्टेदार को वापस की जाएगी ।
- 6. प्रसंस्करण इकाई का निर्माण एवं ट्रायल रन करार के पंजीकरण की तिथि से 24 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, जो न कर पाने पर प्लॉट आबंटन रद्द किया जाएगा और प्रशासनिक व्ययों के लिए भुगतान किए विकास शुल्क के बीस प्रतिशत (जीएसटी को छोड़कर) की कटौती की जाएगी और शेष राशि पट्टेदार को वापस की जाएगी।
- 7. यदि किसी कारण से निर्माण शुरू होने के बाद और इकाई पूर्ण होने के पहले प्लॉट अभ्यर्पित करना चाहता है तो, प्रशासनिक व्ययों के लिए भुगतान किए विकास शुल्क के बीस प्रतिशत (जीएसटी को छोड़कर) की कटौती की जाएगी और शेष राशि पट्टेदार को वापस की जाएगी ।
- 8. यदि निर्माण पूरा करने में और करार के पंजीकरण के दो वर्ष के भीतर ट्रायल रन आयोजित करने में विलंब होता है तो, यूनिट के पूरा होने/पट्टेदार को ट्रायल रन करने की अवधि तक प्रति माह 2000 रू. का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 9. बोर्ड, बोर्ड और पट्टाधारियों के बीच के करार की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद पट्टाधारियों से सामान्य अवसंरचना अर्थात् बिजली, पानी, सुरक्षा, सफाई आदि पर अनुरक्षण शुल्क एकत्र करने का अधिकार रखता है।
- 10. विस्तृत निबंधन व शर्तैं सफल ईओआई आवेदकों के पट्टे करार में शामिल की जाएंगी ।

यदि भूखंडों के आबंटन के लिए अधिक ईओआई प्राप्त होते हैं, प्राप्त ईओआई का मूल्यांकन भूखंडों के आबंटन के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

- क) मसालों के पंजीकृत निर्यातक (10 अंक)
- ख) पिछले दो वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात के औसत मूल्य का भारांक (अधिकतम 10 अंक)
- ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति निर्यातक (10 अंक)
- घ) महिला निर्यातक (10 अंक)

बोर्ड, बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी ईओआई आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

इच्छुक मसाला निर्यातक अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) निर्धारित प्रारूप (संलग्नक 1) में 31.10.2022 को शाम 5.30 बजे या उससे पहले "स्पाइसेस पार्क, जोधपुर में भूमि के पट्टे के लिए ईओआई" ऐसा ऊपर लिखकर निम्न पते पर प्रस्तुत कर सकते हैं:

निदेशक (विपणन) स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन पालारीवट्टोम पी ओ कोच्ची - 682025 केरल

ईमेल: dm.sb-ker@gov.in दुरभाष: 0484-2333602

## संलग्नक-I

## स्पाइसेस पार्क , जोधपुर में भूमि पट्टे पर लेने में रुचि की अभिव्यक्ति

1.	कंपनी का नाम	
2.	मसाला बोर्ड का मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र (सीआरईएस) सं.	
3.	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग के लिए अर्हता प्राप्त है (कृपया प्रमाण संलग्न करें)	
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5.	फोन और ई-मेल के साथ पता	
6.	पिछले 2 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कुल मसालों का विवरण	वर्ष निर्यात किए मात्रा निर्यात किएमूल्य (टन) (लाख रु. में) 2020-21 2021-22
7.	आवश्यक प्लॉटों की संख्या और कुल क्षेत्र	
8.	प्लॉट संख्या का तरजीह	
9.	यदि भूखंड आवंटित किए गए हैं तो, प्रसंस्कृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मसालों का नाम और प्रस्तावित प्रसंस्करण का प्रकार और सन्निकट निवेश।	मसालों का नाम: प्रसंस्करण का तरीका: सन्निकट निवेश:
10.	कोई अन्य सूचना	

मैं/हम एतद्दवारा घोषणा करता/करती हूं/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और उसमें अनुबंधित शर्तों से सहमत हूं।

स्थान: तारीख:

संपर्क व्यक्ति का हस्ताक्षर

मेहर के साथ कंपनी का नाम

### Spices Board (Ministry of Commerce & Industry, Government of India) Sugandha Bhavan, Palarivattom Cochin – 682 025. Kerala

# INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST FOR LEASING OF LAND IN SPICES PARK, RAMPURA BHATIYAN, JODHPUR, RAJASTHAN

Spices Board has established a Spices Park, in Rampura Bhatiyan, Jodhpur, Rajasthan in an area of 60 acres of land for processing and value addition of Seed Spices especially for Cumin. The common infrastructure facilities available in the Park includes road, drain, uninterrupted power and water supply, etc. The Board has earmarked land for leasing out to the prospective entrepreneurs to establish spice processing unit.

Now, the Board invites Expression of Interest (EoI) from the Spices Exporters for allotment of the following plots for establishing Spices processing units in the Spice Park at Rampura Bhatiyan, Jodhpur, Rajasthan.

- 1. Plot no.10 admeasuring 1 acre area
- 2. Plot no.11 admeasuring 1 acre area

The interested exporters having valid Certificate of Registration As Exporters Of Spices are eligible to submit EoI. The land will be leased out for an initial period of 30 years on payment of one-time development fee (non-refundable) @ Rs.5 lakh per acre + 18% GST extra. In addition to the development charges, plot lease rent @ Rs.1000/- per acre per annum +18% GST extra shall be payable. The Lease rent is subject to revision as and when required. Other terms and conditions will be as per the lease agreement.

The interested exporters who wishes to visit the Park, may contact the officer in charge in the following address:

Deputy Director Spices Board Regional Office C 65, 2 nd Extension Kamla Nehru Nagar, Jodhpur 342001, Rajasthan

Email: spicesboardju@gmail.com Mob: 9483843351/ 9656781180

#### General Terms & conditions of the lease

- 1. The period of lease is 30 years (thirty years) commencing from the date of registration of the lease agreement. The lease period may be further extended on mutual agreement between the lessor (Spices Board) and the lessee (Exporter) subject to the approval from the concerned state Government, if required.
- 2. The lessee shall pay the lease rent @ Rs.1,000/- per acre per annum (subject to revision by the Board) +18% GST extra or at the revised rate to the lessor on or before April of the succeeding financial year from the year of registration.
- 3. The lessee shall pay to the lessor a onetime non-refundable development charge @ Rs.5.00 lakhs +18 % GST extra per acre for the allotted plot.
- 4. The Registration of the lease agreement shall be done within one month from the date of signing the agreement, failing which the plot allotment will be cancelled and 5% of development charges (excluding GST) paid will be deducted towards administrative expenses and balance will be refunded to the Lessee.
- 5. The construction of the processing unit shall be commenced within 6 months from the date of registration of agreement, failing which the plot allotment will be cancelled and 10% of development charges (excluding GST) paid will be deducted towards administrative expenses and balance will be refunded to the Lessee.
- 6. The completion of construction and trial run of the processing unit shall be done within 24 months from the date of registration of the agreement, failing which the plot allotment will be cancelled and 20% of development charges (excluding GST) paid will be deducted towards administrative expenses and balance will be refunded to the Lessee.
- 7. If the Lessee for any reasons wishes to surrender the plot after commencement of construction and before completion of the unit, 20 % of the development charges (excluding GST) paid will be deducted towards administrative expenses and balance will be refunded to the Lessee.
- 8. If there is delay in completion of the construction and conducting trial run of the unit within 2 years of registration of the agreement, a penalty of Rs.2000/- per month will be charged till the period of completion of the unit / conduct of trial run to the Lessee.
- 9. The Board reserves the right to start collecting a share of the maintenance charges on common infrastructure viz. electricity, water, security, cleaning, etc, from the lease

holders, after a period of 3 years from the date of agreement between the Board and the lease holders'.

10. Detailed terms and conditions will be included in the lease agreement to the successful EOI applicants.

The EOIs received will be evaluated as per the following criteria for allotment of plots, in case more EOIs are received for allotment of plots.

- a) Registered exporters of Spices (10 points)
- b) Weightage to average value of spices exports during last 2 years (Max.10 points)
- c) ST / SC Exporter (10 points)
- d) Woman Exporter (10 points)

The Board reserves the right to reject any / all EOI applications without assigning any reasons thereof.

The interested spices exporters may submit their Expression of Interest (EoI) in the prescribed format (Annexure 1) on or before 5.30 pm on 31.10.2022 superscribing "EOI for leasing of lands in Spices Park, Jodhpur" addressed to:

> The Director (Marketing) Spices Board, Sugandha Bhavan Palarivattom P O Kochi – 682025 Kerala

Email: dm.sb-ker@gov.in

Tel: 0484-2333602

DIRECTOR [MKTG]

## EXPRESSION OF INTEREST FOR LEASING OF LAND IN SPICE PARK, JODHPUR

1.	Name of the Company	
2.	Spices Board's valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) No.	
3.	Whether qualify for SC / ST / Woman category (PI attach proof)	
4.	Name of Contact person	
5.	Address with Phone & E-mail	
6.		(Tons) (Rs Lakhs) 2020-21
		2021-22
7.	No. of Plots required & total area	
8.	Preference of Plot Nos	
9.	Name of spices proposed to be processed and type of processing proposed and approximate investment proposed, if plots are allotted	Type of Processing:
10.	Any other information	Approximate Investment:
<b>1</b> 0.	rany other information	

I /We hereby declare that the details furnished above are true to the best of my knowledge and belief and agree to the conditions stipulated therein.

Place:	
Date:	Signature of Contact Person